न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 24/2015

नरेश कुमार गोदपुत्र कन्हैयालाल जी जाति ब्राम्हण निवासी कादून्दा तहसील बेगूं
प्रार्थी

बनाम

रूकमाबाई उर्फ रूकमणी बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राम्हण निवासी कादून्दा हाल मुकाम पति श्रवण कुमार ब्राम्हण पेशा गृहणी निवासी कदवासा तहसील सिंगोली जिला भीमत्र (म0प्र0)
विपक्षी

उपस्थित :– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अभिवक्ता प्रार्थी
श्री सत्यनारायण ईनाणी
अभिवक्ता विपक्षीया

आदेश दिनांक :–28.11.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि वादी /प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र विपक्षी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा का प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य इतने ठोस एवं सत्य आधारित है कि विपक्षीगण के विरूद्ध अवश्य ही डिक्री होगा लेकिन उसके निस्तारण में मे लम्बा समय लगने की पूर्ण संभावना है। इसलिए विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने हेत यह प्रार्थना पत्र है।

यह कि ग्राम कादून्दा तहसील बेगूँ में वादी/प्रार्थी के पिता स्व0 कन्हैयालाल जी शर्मा (ब्राम्हण) की पुश्तैनी आराजीयात स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
71	858/4	0.07
	1526	0.37
	1527/4	0.03
कीता–3	कुल रकबा	0.47 हैक्टर

यह कि स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के पिता का नाम छोगालाल जी था छोगालाल जी दो और भाई थे, दूसरे का नाम चौथमल था तथा तीसरा भाई प्यारचन्द्र था तीनों छोगालाल एवं चौथमल प्यारचन्द्र का निधन हो चुका है। छोगालाल, चौथमल के खाते में पुश्तैनी भूमि स्थित थी, सेटलमेन्ट पश्चात आधार वर्ष सम्वत 2028 के खाता संख्या 207 के अनुसार इनके नाम पर निम्न भूमि स्थित थी –

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
279	6बीघा 8बिस्वा
280	6बीघा 6बिस्वा
366	4बीघा 10बिस्वा
859	1बीघा 11बिस्वा
860	2बीघा 05बिस्वा
861	0बीघा 06बिस्वा
1526	11बीघा 13बिस्वा
1527	12बीघा 16बिस्वा
कीता–8	कुल रकबा 45बीघा 15बिस्वा

यह कि उक्त भूमि में गलती से प्यारचन्द के नाम का अंकन नहीं हो पाया था, इसलिए न्यायालय में विभाजन व घोषणा का वाद प्रस्तुत हुआ, जिसमें प्यारचन्द्र का नाम उक्त भूमि मे सहखातेदार के रूप में अंकित होकर भूमि का विभाजन हो गया। छोगालाल के दो पुत्र कन्हैयालाल (वादी /प्रार्थी के पिता) एवं रामेश्वरलाल हुए थे जिनके विभाजन में निम्न भूमि अंकित हुई जो सम्वत 2035 से 2038 के खाता संख्या 234 में अंकित हुई जो निम्न प्रकार है:–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
278	6बीघा 8बिस्वा
1526/2	2बीघा 9बिस्वा
1527/1	5बीघा 1बिस्वा
858/1	1बीघा 7बिस्वा

कीता–4 कुल रकबा 15बीघा 5बिस्वा

उक्त भूमि में वादी के पिता का 1/2 हिस्सा है। अन्य सह खातेदार के हिस्से भूमि बाबत कोई विवाद नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या तीन में वर्णित वादी/प्रार्थी के पिता कन्हैयालाल एवं रामेश्वरलाल के नाम पर अंकित का भी न्यायालय की डिकी एवं बटवाडे से तीन हिस्से हुए जो नामान्तरण संख्या 1596 दिनांक 21.4.2004 से विभाजित होकर सम्वत 2060 से 2063 की जमाबन्दी खाता संख्या 65 पर इसका अंकन हुआ है वादी/प्रार्थी के पिता का अन्य भाई गोपीचन्द्र था। इस कारण न्यायालय आदेश से गोपीचन्द के उत्तराधिकारियों का नाम अंकित किया जाकर विभाजन की डिकी दी गई थी। इस न्यायालय की डिकी के पश्चात वादी के पिता के नाम पर निम्न भूमि का अंकन हुआ है।

खातेदार कन्हैयालाल पिता छोगालाल ब्राम्हण

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
277/2	0.35
858/1ख	0.07
1527	0.37
1527/1ख	0.03

कीता–4 कुल रकबा 0.82 हैक्टर

उक्त भूमि में से वादी/प्रार्थी के पिता ने खसरा नम्बर 277/2 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि का विकय कर दिया है शेष भूमि संशोधित आराजी नम्बर अनुसार निम्न प्रकार है :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
858/4	0.07
1526	0.37
1527/4	0.03

कीता–3 कुल रकबा 0.47 हैक्टर

यह कि वादी /प्रार्थी के पिता कन्हैयालाल जी का दिनांक 17.1.2015 को निधन हो गया है उनके एक पुत्री जो वादी/प्रार्थी की बहिन है उसका नाम रूकमणी बाई उर्फ रूकमाबाई जो प्रतिवादी संख्या एक है परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:–

उदेराम

छोगालाल | चौथमल | प्यारचन्द्र

(छोगालाल के पुत्र) कन्हैयालाल | रामेश्वरलाल | गोपीचन्द्र

(कन्हैयालाल की संतान) रूकमणी प्रति.1 | नरेशकुमार वादीगोदपुत्र

(रामेश्वरलाल की संतान) नरेशकुमार (गोद गया कन्हैयालाल) | मांगीलाल | चन्द्रकला | आशा | अम्बिका

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि कन्हैयालाल जी ब्राम्हण के कोई पुत्र नहीं होने से स्व. श्री कन्हैयालाल जी ने अपने सगे भाई के पुत्र नरेश कुमार को 12 वर्ष 6 माह की अवस्था में ब्राम्हण समाज में प्रचलित रिति रिवाज एवं परम्पराओं के अनुसार दिनांक 13 नवम्बर 2008 को गिति कार्तिक माह की शुक्लपक्ष की पूर्णिमा सम्वत 2065 को सांय 7.30 बजे गोद ले दिया। वादी/प्रार्थी नरेश कुमार को इसके प्राकृतिक माता श्रीमति गीताबाई एवं पिता रामेश्वरलाल ने स्व0 कन्हैयालाल जी को गोद में बिठाया समाज के मौतबीर पंचो के सामने वादी/प्रार्थी के लहरिया बांध कर सबके सामने स्व0 कन्हैयालाल जी ने वादी को गोदपुत्र के रूप में स्वीकार किया ,उस वक्त प्रतिवादिनी /विपक्षी रूकमाबाई उर्फ रूकमणी बाई स्वयं भी मौजूद थी। तत्पश्चात स्व0 कन्हैयालाल जी ने अपने राशनकार्ड में भी वादी/प्रार्थीका नाम ग्राम पंचायत मे जाकर जुडवाया। राशनकार्ड की प्रति संलग्न है वादी के स्व0 कन्हैयालाल के गोद जाने के पश्चात समस्त समाज एवं आम लोगो के द्वारा वादी /प्रार्थी को स्व0 श्री कन्हैयालाल का ही पुत्र माना जाता है वादी/प्रार्थी के आधार कार्ड में भी पिता कन्हैयालाल जी ही अंकित है।

यह कि हिन्दू कानून तथा हिन्दू रिति रिवाज एवं मान्यताओं के अनुसार गोद जाने के पश्चात गोद जाने वाले को बाद में उस परिवार के ही प्राकृतिक सदस्य के अनुसार अधिकार प्राप्त हो जाते है मानों उसने (गोद जाने वाले ने) उसी परिवार में जन्म लिया हो इस प्रकार ग्राम काटुन्दा में स्थित स्व0 कन्हैयांलाल जी की पुश्तैनी आराजी 858/4, 1526, 1527/4 में वादी/प्रार्थी को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो चुके थे।

यह कि स्व0 कन्हैया लाल जी तथा प्रार्थी के प्राकृतिक माता पिता ने एक गोद नामा भी दिनांक 11.02.2009 को सब रजिस्टार साहब बेगूँ समक्ष उपस्थित होकर निष्पादित एवं पंजीकृत कराया था। इस पर सभी के हस्ताक्षर है प्रार्थी को गोद माता का भी निधन वहुत पहले ही हो चुका था। इसलिए अकेले कन्हैयालाल जी को वादी/प्रार्थी को गोद लेने का अधिकार कानूनन प्राप्त था।

यह कि प्रार्थी को गोद लेने के पश्चात स्व0 कन्हैयालाल जी को अपनी पुश्तैनी आराजी संख्या 858/4, 1526, 1527/4 को पूरी को बक्षीश करने का कोई अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं था क्यो कि कन्हैयालाल के संयुक्त परिवार में प्रार्थी एवं रूकमणीबाई उर्फ रूकमाबाई थे इस भूमि में प्रार्थी स्व0 कन्हैयालाल जी का हिस्सा उनकी जीवित अवस्था में मात्र 1/3 ही निहित था। तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात यह भूमि 1/2 हिस्सा प्रार्थी एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी रूकमाबाई उर्फ रूकमणीबाई के नाम पर दर्ज को निष्पादित किया गया है वह अवैध है। बक्षीशनामा जो दिनांक 11.01.2012 को निष्पादित किया गया है वह अवैध है। बक्षीशनामा जो दिनांक 11.01.2012 को निष्पादित किया गया है वह अवैध है। बक्षीशनामा में बक्षीशगृहीता रूकमाबाई उर्फ रूकमणी बाई ने कब्जा प्राप्त नहीं किया है इसकी कोई स्वीकारोक्ति भी बक्षीशनामा पर नहीं है। आराजीयात पुश्तैनी होने से एवं वादी का इस भूमि पर गोद दिनांक से ही प्राकृतिक पुत्र के समान हक व अधिकार उत्पन्न हो जाने से स्व0 कन्हैयालाल जी को यह आराजी बक्षीश करने का कोई वैध अधिकार ही प्राप्त नहीं था। इसलिए तथाकथित बक्षीशनामा दिनांक 11.1.2012 अवैध दस्तावेज मात्र है एवं इससे विपक्षीया के पक्ष में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

यह कि ग्राम काटुन्दा में स्थित आराजी संख्या 858/4, 1526, 1527/4 पुश्तैनी आराजी होना स्पष्ट एवं प्रमाणि है इसलिए इस भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं विपक्षीया का 1/2 हिस्सा कानूनन बनता है। इसलिए विपक्षीया के नाम पर किया गया नामान्तरण संख्या 2511 दिनांक 20.01.2012 के आधार पर जमाबन्दी में किया गया अंकन अवैध होने से कानून विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जावे एवं प्रार्थी को 1/2 हिस्सा एवं विपक्षीया को 1/2 हिस्सा अनुसार भूमि की घोषणा किये जाने हेतु यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र बाबत घोषणा किये जाने आराजी हेतु प्रस्तुत है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि वाद वर्णित आराजी 858/4, 1526, 1527/4 पर वर्तमान में केवल वादी/प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है लेकिन जमाबन्दी खाता संख्या 71 में अंकित नोट अनुसार प्रतिवादिनी/विपक्षीया इस भूमि को वय वक्षीश, दान वसीयत आदि से हस्तान्तरित कर सकती है एवं वादी के कब्जे काश्त में भी दखल कर सकती है इसलिए विपक्षीया को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द यिका जाना न्यायोचित है यदि विपक्षीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है प्रार्थी को ही अपूरणीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन अर्थ में किया जाना संम्भव नहीं है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीया को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें कि वे वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक उक्त वाद वर्णित मौजा काटुन्दा की आराजी संख्या 858/4, 1526, 1527/4 में प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें, न ही अन्य किसी नौकर एजेन्ट या रिश्तेदार से करावें साथ ही विपक्षीया उक्त आराजीयात को अन्य किसी को वय बक्षीश दान वसीयत आदि से हस्तान्तरित नहीं करें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीया तलब किया गया. प्रकरण मे विपक्षीया की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी द्वारा अपना स्वीकार पत्र मूल वाद में प्रस्तुत किया गया, तथा इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया कि वादपत्र प्रस्तुत होना स्वीकार है जो मिथ्या तथ्यो पर आधारित होकर खारिज होगा। वाद डिक्री होने की लेशमात्र भी संभावना नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 का उत्तर यह है कि स्व. कन्हैयालाल जी प्रार्थी के पिता नहीं होकर मुझ उत्तरदाता विपक्षी के पिता है जिनकी मै एकमात्र संतान हूँ। प्रार्थी रामेश्वर लाल का पुत्र है जो मेरी जायदाद हडपन हेतु मिथ्या कथन कर रहा है। और अपने आप को स्व. कन्हैयालाल जी का पुत्र बता रहा है जबकि स्व. कन्हैयालाल ने प्रार्थी को कभी गोद नही रखा। मै उत्तरदाता विपक्षी उनकी एकमात्र पुत्री हूँ और मैने ही उनकी देखरेख सेवा चाकरी की और उनका स्वर्गवास भी मेरे यहां कदवास (मु.) में ही हुआ। आराजीयात जो है वे रेकार्ड में है। चरण संख्या 3 मे वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रार्थी इन्हें प्रमाणित करें।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 का उत्तर यह है कि स्व. कन्हैयालाल प्रार्थी के पिता नहीं थे। प्रार्थी के पिता रामेश्वरलाल का पुत्र है। कन्हैयालाल जी की जायदाद मे प्रार्थी का कोई हक होने का प्रश्न ही नहीं है। आराजीयात जो भी वह रेकार्ड में है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 का उत्तर यह है कि प्रार्थी मिथ्या कथन का आदी रहा हैं चरण संख्या 4 स्व0 छोगालाल जी के दो पुत्र कन्हैयालाल व रामेश्वरलाल जी का होना कथन किया है जबकि इस चरण में प्रार्थी एक और श्री गोपीचन्द को भी कन्हैया लाल के भाई होना अंकित कर रहा है इस प्रकार प्रार्थी अपने आप में अस्पष्ट है। मेरे पिता स्व. कन्हैयालाल जी की आराजीयात रेकार्ड में उनके नाम अंकित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 का उत्तर यह है कि स्व. कन्हैयालाल का स्वर्गवास होना स्वीकार है जो मेरे पिता थे, और मेरे यहा कदवास में ही उनका स्वर्गवास हुआ। प्रार्थी ने गलत रूप से उन्हें अपना पिता अंकित किया है। मै उनकी एक मात्र संतान हूँ प्रार्थी ने सजरा भी गलत अंकित किया है। वह स्व. कन्हैयालाल जी का गोदपुत्र नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 मिथ्या होकर स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने पूर्णतया मिथ्या व काल्पनिक तथ्य वर्णित किये है। स्व. कन्हैयालाल जी ने प्रार्थी को 22 नवम्बर 2002 या कभी भी गोद नहीं रखा और न ही कोई गोद का दस्तूर करने का ही प्रश्न है। जाति पंचो में रिति रिवाज अनुसार दस्तूर करने का प्रश्न ही नहीं है। क्यो कि वादी को कभी गोद ही नहीं रखा और न ही मेरी उपस्थिति का ही प्रश्न है। प्रार्थी ने सारे तथ्य मिथ्या अंकित किये है। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की देखरेख सेवा सुश्रुषा में ही करती रही और उनका स्वर्गवास भी मेरे पास कदवासा में हुआ और उनके सारे जातीय धार्मिक रिति रिवाज भी मैने ही सम्पन्न किए। प्रार्थी ने षडयंत्र पूर्वक कोई फर्जी कागजात बनाया हो तो इसके कोई अन्तर नहीं पडता है। प्रार्थी को कभी कन्हैयालाल जी के गोदपुत्र के रूप में नहीं जाना और न ही प्रार्थी कभी कन्हैयालाल जी के पास ही रहा।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 गलत होकर स्वीकार नहीं। प्रार्थी को कन्हैयालाल जी ने कभी गोद नहीं रखा और न ही वह कभी हमारे परिवार का सदस्य बना। सारी जायदाद कन्हैयालाल की और मेरी है क्यो कि मै उनकी एकमात्र पुत्री हूँ। प्रार्थी का हमारी जायदाद में कोई हक नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरनसंख्या 9 गलत होकर स्वीकार नहीं है स्व0 कन्हैयालाल जी ने कोई गोद नहीं रखा और न कोई गोदनामा ही लिखा। प्रार्थी ने षडयंत्रपूर्वक स्व. कन्हैयालाल जी की वृद्धावस्था व रुग्णावस्था का नाजायज लाभ उठाकर कोई दस्तावेज निष्पादित कराया हो तो वह प्रभावहीन होकर शून्य है इस बाबत निर्णय करने हेतु मात्र सिविल न्यायालय ही सक्षम है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 गलत होकर स्वीकार नहीं प्रार्थी का स्व. कन्हैयालाल जी की जायदाद में कोई हक व अधिकार पैदा नहीं होते क्यो कि प्रार्थी व कन्हैयालाल जी का कोई संयुक्त परिवार होने का प्रश्न ही नहीं है। स्व.कन्हैयालाल जी ने अपनी जायदादपूर्ण हक से बक्षीस की जिसका उन्हें पूरा अधिकार था। बक्षीसनामा अवैध होने का प्रश्न ही नहीं है एवं बक्षीसनामा की वैधता बाबत निर्णय करने हेतु न्यायालय आप सक्षम नहीं है अपितु यदि वादी बक्षीसनामे को चुनौति देना चाहता है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय में कारवाही करनी चाहिए।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 11 स्वीकार नहीं। स्वर्गीय कन्हैयालाल की संपति में प्रार्थी का कोई हक नहीं बनता है अपितु उनकी एकमात्र संतान होने से एवं बक्षीस भी मेरे पक्ष में होने से मै ही एकमात्र स्वामी हूँ और प्रार्थी कोई हक घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। मेरे पक्ष में नामान्तरण सही किया गया है प्रार्थी कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन ही उसके पक्ष में है। आवेदन खारिज होने योग्य है।

sd/-

तहसीलदार कपासन
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 12 गलत होकर स्वीकार नहीं है। वाद वर्णित आराजीयात मुझ उत्तरदाता विपक्षी के खातेदारी की होकर मेरे ही कब्जे काश्त में है, प्रार्थी का कब्जा अथवा काश्त होने का प्रश्न ही नहीं है। मै आराजीयात की खातेदार होकर काबिज हूँ और इनका इच्छानुसार उपयोग करने की अधिकारी हूँ। मेरे विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रश्न ही नही है। प्रार्थी को कोई क्षति होने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता है।

चरण संख्या 13 स्वीकार नहीं है वाद एवं आवेदन न्यायालय आपके श्रवण करने योग्य नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थी इस प्रकरण में अपने आप को गोदपुत्र होने बाबत निर्णय कराना चाहता है एवं स्वर्गीय कन्हैयांलाल जी द्वारा किये गये बक्षीसनामे को भी अवैध घोषित कराना चाहता है जिसके लिए वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस को पूर्णतया ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि मृतक कन्हैयालाल जी ने मुझ प्रार्थी को गोदपुत्र रखते हुए पंजीकृत गोदनामा निष्पादित कराया था, स्व0 कन्हैयांलाल जी के खाते की कृषि आराजी मौजा काटून्दा की आराजी संख्या 858/4, 1526, 1527/4 की कृषि आराजी को विपक्षीया ने सम्पूर्ण अपने खाते में जरिये नामान्तरण दर्ज करवा लिया है जबकि इस कृषि आराजी में मुझ प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा गोदपुत्र होने से बनता है, अब विपक्षीया इस कृषि आराजी पर मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त में जबरन दखलंदाजी करना चाहते है तथा इस कृषि आराजीयात को वय बक्षीस दान वसीयत आदि से हस्तान्तरित करना चाहती है जिसका की उसे कोई अधिकार ही नहीं हैं। मुझ प्रार्थी/वादी ने न्यायालय आप में ही एक वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा से भी प्रस्तुत किया हुआ है जिसके निस्तारण में समय लगने की संभावना है। इसलिए विपक्षीया को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के अंतिम निस्तारण होने तक पाबंद कराया जाना आवश्यक हो गया है जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीया द्वारा अपनी बहस को प्रस्तुत जवाब अनुसार निवेदन करते हुए कहा है कि स्व. कन्हैयालाल जी मेरे पिता थे जो मेरे ही पास रहते थे तथा उनका स्वर्गवास भी मुझ प्रार्थीया के पास ग्राम कदवास म.प्र. में ही हुआ है तथा उनकी सेवा भी मुझ विपक्षीया ने की है तथा सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार सभी कियाकरम भी किये है। प्रार्थी को कभी गोद पुत्र नहीं रखा है, निष्पादित गोदनामा के आधार पर प्रार्थी वर्णित कृषि आराजी को हडपना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मुझ प्रार्थी के पिता द्वारा मेरे पक्ष में पंजीकृत बक्षीसनामा आराजीयात का व सम्पत्ति का किया है, प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मिथ्या कथन अंकित किये है। प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि पर मुझ विपक्षीया का कब्जा होकर काश्त कर रही हूँ तथा भूमि मेरे ही खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी मुझ विपक्षीया के पक्ष में किये गये बक्षीसनामे को अवैध कराना चाहता है जिसका की उसे कोई अधिकार नहीं है ना ही वाद इस न्यायालय में चलने योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस को सुने जाने के पश्चात प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, प्रस्तुत दस्तावेज का उल्लेख करते हुए दस्तावेज के गुणावगुण अनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओं पर निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1-<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> ::-

प्रार्थना पत्र पत्रावली में दर्शाए गये सजरे को घ्यानमे रखते हुए इस पत्रावली में नकल जमाबंदी मौजा काटून्दा की सम्वत 2028 की प्रस्तुत की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 277, 278, 365, 858, 860, 861, 1526, 1527 कीता-8 कुल रकबा 45वीघा 15 बिस्वा भूमि के खातेदार छोगा चौथमल पिता उदेराम ब्राम्हण सा.देह हि.व. खातेदार दर्ज अंकित है। सजरे में छोगालाल के पुत्र कन्हैयालाल रामेश्वरलाल व गोपीचन्द्र दर्ज किये हुए है। नकल जमाबंदी मौजा काटून्दा की संवत 2035 से 38 में दर्ज उपरोक्त आराजी कीता-8 रकबा 45वीघा 16 बिस्वा भूमि जो कि छोगा चौथमल के नाम पर पर दर्ज थी में नोट अंकित है कि नामा0सं0 269 दिनांक 12.5.81 से छोगा के बजाय कन्हैयालाल रामेश्वरलाल पिता छोगा 1/2 दर्ज होगा। नोट अंकित है तथा वर्णित आराजी का बंटवाडा किया हुआ है। नामा0सं0 325 में वर्णित कृषि आराजीयात का विभाजन होकर भूमि रामेश्वरलाल पिता उदेराम, श्री कन्हैयालाल , रामेश्वरलाल पिता छोगा के नाम पर विभाजित आराजीयात का अंकन किया गया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली मे प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 269 जो कि विरासत छोगा से खोला गया है उसमें श्री कन्हैयालाल, रामेश्वरलाल पिता छोगा 1/2चौथमल पिता उदेराम 1/2 ब्राम्हण का अंकन किया हुआ है। नकल नामान्तरण संख्या 15961 जिसमें रामेश्वरलाल पिता छोगा ब्राम्हण के नाम पर आराजी संख्या 277/3, 858/1ग , 1527/1ड कीता–3 कुल रकबा 0.82 हैक्टर भूमि का अंकन किया गया है। इस प्रकार नामान्तरण संख्या 15961 मे विभाजन से आराजी को श्रीमति नांदीबाई स्व. पति गोपीचन्द लादूलाल पिता गोपीचन्द ब्राम्हण के नाम पर दर्ज आराजी एवं श्री कन्हैयालाल पिता छोगा ब्राम्हण के नाम पर दर्ज आराजी संख्या 277/2, 858/ख, 1526, 1527/1 का अंकन किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा कादून्दा की संवत 2068 से 71 में आराजी संख्या 858/4, 1526, 1527/4 कीता–3 रकबा 0.47हैक्टर भूमि श्री कन्हैयालाल पिता छोगालाल ब्राम्हण सा0देह खातेदार के नाम पर दर्ज है जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है कि नामा0सं0 2511 दिनांक 20.01.द्वारा बक्षीस से सम्पूर्ण खाता किता–3 रकबा 0.47 हैक्टर रूकमणीबाई पिता कन्हैयालाल ब्राम्हण सा.देह हा0मु0 कदवासा तह0 रिंगोली जिला नीमच के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इन सभी दस्तावेज के अवलोकन से यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत आराजी जो कि कन्हैयॉलाल पिता छोगा के नाम पर दर्ज थी वह बक्षीशनामा से उनकी पुत्री रूकमणी बाई के नाम पर यानि विपक्षीया के नाम पर दर्ज की गई है।

इस पत्रावली में दस्तावेज पंजीकृत गोदनामा पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि दिनांक 11.02.2009 को निष्पादित किया गया है, यह गोदनामा कन्हैयालाल पिता श्री छोगालाल जाति ब्राम्हण द्वारा प्रार्थी नरेश कुमार के नाम पर निष्पादित किया गया है। गोदनामा में अंकित किया गया है कि मेरा गोदपुत्र होने से मेरे एवं मेरी चल अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित वो सर्वाधिकार एवं दायित्व प्राप्त होगें। गोदनामा पर गोद पिता कन्हैयालाल व प्राकृतिक पिता रामेश्वरलाल व उनकी पत्नी गीताबाई के तथा गवाह जयलाल व लालूराम के हस्ताक्षर किये हुए है। इस पत्रावली में प्रस्तुत पंजीकृत बक्षीशनामा जो दिनांक 11.01.2012 को पंजीकृत किया जाकर निष्पादित किया गया है, बक्षीशनामा कन्हैयालाल पिता छोगालाल ब्राम्हण द्वारा अपने खाते की आराजी ग्राम कादुन्दा की आराजी संख्या 858/4, 1526, 1527/4 कीता–3 कुल रकबा 0.4700 हैक्टर भूमि को बक्षीश किया जाने का अंकन किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत परिवार राशनकार्ड की छायाप्रति जो कन्हैयालाल व नरेश पुत्र के नाम पर बना हुआ है, आधार कार्ड नरेश कुमार पिता कन्हैयांलाल के नाम पर बना हुआ है। पत्रावली में कन्हैयांलाल पिता छोगा ब्राम्हण की मृत्यु प्रमाण की छायाप्रति प्रस्तुत की गई जिसमें उनकी मृत्यु दिनांक 17.01.2015 को होना अंकित किया हुआ है। पत्रावली में विकयपत्र आराजी जो कि रूकमणीबाई द्वारा श्री लादुलाल पिता रामचन्द्र गुर्जर के नाम पर आराजी संख्या 858/4 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि का विक्रय पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त सभी दस्तावेज के अवलोकन किये जाने पर मामला सपष्ट हो जाता है कि जो प्रश्नगत प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात है, वह कन्हैयालाल पिता छोगा ब्राम्हण के नाम पर दर्ज थी जो कि बाद में बक्षीशनामा के आधार पर उनकी पुत्री विपक्षीया रूकमणी के नाम पर दर्ज हुई है, जिसमें से रूकमणी द्वारा एक आराजी का विक्रय पंजीकृत भी किया है। जहाँ तक पत्रावली में प्रस्तुत पंजीकृत गोदनामा का प्रश्न है जिसके आधार पर वादी/प्रार्थी वादपत्र एवं यह प्रार्थना पत्र लेकर न्यायालय में आए है, तो प्रार्थी के नाम पर जो गोदनामा निष्पादित हुआ वह 11.1.2009 को निष्पादित हुआ है तथा उसके पश्चात ऐसा क्यो कारण हुआ कि खातेदार कन्हैयालाल पिता छोगा को अपनी वर्णित कृषि आराजीयात को जरिये बक्षीशनामा से अपनी पुत्री रूकमणी के नाम पर दर्ज कराई है। जो कि दिनांक 20.1.2012 को दर्ज की गई है, जबकि कन्हैयालाल की मृत्यु दिनांक 17.1.2015 को हुई है यानि उनकी जीवित अवस्था में ही कषि भूमि उनकी पुत्री के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दी गई। जैसा कि विपक्षीया ने अपने जवाब में अंकित किया है कि श्री कन्हैयांलाल जी उनके पास ही ग्राम कदवास में रहते थे तथा उनकी मृत्यु पर सभी किया करम जाति रिवाज अनुसार उन्होने ही किये थे। संभवतया गोदपुत्र द्वारा पुत्र के कर्तब्यो का निर्वाह किये जाने में असमर्थता व्यक्त की हो जिससे कन्हैयांलाल गोद पिता द्वारा बक्षीशनामा के आधार पर वर्णित आराजी को उनकी पुत्री के नाम पर उनकी जीवित अवस्था में खातेदारी में दर्ज कराने की आवश्यकता हुई हो?

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात जो कि विपक्षीया के नाम पर ही खातेदारी में दर्ज अंकित है, तथा पंजीकृत गोदनामा के आधार पर प्रार्थी उक्त कृषि आराजीयात को अपने खातेदारी में दर्ज कराना चाहते है, जबकि वर्णित कृषि आराजीयात पंजीकृत बक्षीशनामा के आधार पर ही रूकमणीबाई के नाम पर दर्ज की गई है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

तक दोनो ही पंजीकृत दस्तावेज को माने जाने या नही माने का प्रश्न है वह मूलवाद मे ही निस्तारण होना है, क्या प्रार्थी पंजीकृत गोदनामा के आधार पर वर्णित आराजी मे अपना हक रखते है या नही या पंजीकृत बक्शीशनामा ही सही यह सब मूलदावे मे ही निस्तारित किया जाना होता है। वर्तमान मे कृषि भूमि विपक्षीया के नाम पर दर्ज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होता है।

2– सुविधा का सन्तुलन ::

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी मौजा कादून्दा 858/4, 1526, 1527/4 कीता–3 रकबा 0.47हैक्टर भूमि जो कि विपक्षीया रूकमणीबाई के नाम पर दर्ज अंकित है, तथा भूमि पर कब्जा होने का कथन भी विपक्षीया ने अपने प्रार्थना पत्र के जवाब में किया है, वैसे भी खातेदार की भूमि में अन्य किसी का कब्जा होना अतिक्रमण ही कहलाता हैं। चूंकि प्रश्नगत भूमि के खातेदार विपक्षी होकर उनकी का कब्जा काश्त भूमि पर होना सामने आया है, प्रार्थी किस आधार पर यह कहते है कि वर्णित कृषि भूमि पर उनका कब्जा काश्त है, यह तथ्य प्रार्थी किन्हीं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार सिद्ध नहीं करा पाये है। जबकि भूमि विपक्षीया के खातेदारी में होने से व उनके पास होने से भूमि में एक आराजी को विक्रय भी विपक्षीया द्वारा किया गया है, जिसका प्रमाण भी पत्रावली में प्रस्तुत किया है। किसी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर पाने का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता हैं।

3– आर्थिक क्षति ::–

वर्णित कृषि आराजी मौजा कादून्दा 858/4, 1526, 1527/4 कीता–3 रकबा 0.47हैक्टर भूमि जो कि विपक्षीया रूकमणीबाई के नाम पर दर्ज अंकित है, तथा भूमि पर कब्जा होना भी विपक्षीया ने अपने जवाब में बताया है, यानि विपक्षीया भूमि की खातेदार है किसी खातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का प्रावधान नहीं है। यदि विपक्षीया रूकमीणीबाई को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो निश्चित ही उन्हे ही आर्थिक क्षति होगी जबकि प्रार्थी को कोई आर्थिक क्षति नहीं होती है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

प्रार्थना पत्र निस्तारण के मुख्य तीनो ही बिन्दुओं को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रहे है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं